

टाउन म्युनिसिपल कमेटी अमरावती

बनाम

रामचंद्र वासुदेव चिमोटे व अन्य

3 मार्च 1964

(पी.बी गजेंद्रगढकर सी.जे, के.एन वांचु, केसी दास गुसा, जेसी शाह और  
एन राजगोपाल अयंगर, जे.जे.)

सीमाकर-वर्ष 1960 में नगरपालिका द्वारा चांदी व चांदी के जेवरात सोने व सोने के जेवरात और कीमती नगों पर सीमाकर अधिरोपित किया गया- यह कर पूर्व में कभी नगरपालिका द्वारा अधिरोपित नहीं किया गया था- क्या उक्त कर संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा सुरक्षित है?-समान उद्देश्य के अनुसरण में निरंतर रूप से कर का अधिरोपण व उसे लागू किया जाना-अर्थ-सी.पी. और बैरार नगरपालिका अधिनियम, 1922, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 143 (2), भारत सरकार अधिनियम 1935-भारतीय संविधान अनुच्छेद 277।

अमरावती नगरपालिका द्वारा सड़क या रेल माध्यम से आयातित माल पर अधिसूचना दिनांकित 16.08.1916 के आधार पर एक सीमा कर अधिरोपित किया गया। इस अधिसूचना द्वारा चांदी व चांदी के जेवरात,

सोने व सोने के जेवरात, और कीमती नगों को कर से छूट दी गई थी। जब रेल द्वारा आयातित माल पर सीमाकर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत विशेष रूप से संघीय केंद्र को सौंपा गया था, तब नगरपालिका को धारा 143 (2) के माध्यम से उन करों को जारी रखने हेतु अधिकृत किया गया था, जो कर अधिनियम के लागू होने के पूर्व लगाए जा रहे थे। इसी क्रम में संविधान के अनुच्छेद 277 के आधार पर संविधान लागू होने के पश्चात् भी संविधान से पूर्व जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिरोपित करों को लगाने व एकत्रित करने की अनुमति दी गई थी। सन् 1960 में नगरपालिका द्वारा तीन नईवस्तुएं अर्थात् चांदी व चांदी के जेवरात, सोने व सोने के जेवरात तथा कीमती नगों पर सीमाकर लगाया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में प्रतिवादी (जो नगरपालिका की सीमा में सोने चांदी व कीमती नगों का व्यवसाय कर रहा था) ने नगरपालिका द्वारा लगाए गए सीमाकर की वैधता को विधायी अक्षमता के आधार पर चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई थी और अपीलकर्ता उच्च न्यायालय से उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस न्यायालय में उपस्थित हुए हैं।

अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

चांदी व चांदी के जेवरात, सोने व सोने के जेवरात तथा कीमती नगों पर अधिरोपित नया सीमाकर पूर्व में कभी नगरपालिका द्वारा अधिरोपित

नहीं किया गया था। जिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त कर " विधिक रूप " से अधिरोपित किया गया हो और न ही संविधान लागू होने से पूर्व समान उद्देश्यों के लिए लागू किया गया हो, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 277 द्वारा अपेक्षित है। अनुच्छेद 277 का उद्देश्य असीमित विधायी शक्ति प्रदान कर नये करों को अधिरोपित करने का नहीं था, चाहे उसी प्रकार एवं प्रकृति का कर संविधान के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में रहा हो।

राम कृष्ण रामनाथ बनाम जनपद सभा गोंदिया 1962, चुट्टीलाल बनाम बागमल एवं बलवंतराय आईएलआर 1956, एमबी 339 संदर्भित।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 598-1960/  
1962

विशेष सिविल आवेदन संख्या 30 में नागपुर में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ के 18 मार्च 1961 के फैसले और आदेश के खिलाफ अपील 1962 की सिविल अपील संख्या 695 और 700 के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 1961 और 18 मार्च 1961 के निर्णय और आदेशों के विरुद्ध अपील याचिका संख्या क्रमशः 1961 की 122 और 1960 की 319।

अपीलकर्ता के लिए एमसी सीतलवाड और एस शौकत हुसैन, सीए नंबर 598/62 में।

प्रतिवादी के लिये डब्ल्यू सी बारलिंगे और एजी रत्नापरखी सीए नंबर 598/1962 में।

अपीलकर्ता के लिए उदय प्रताप सिंह और एमएस गुप्ता, सीए नंबर 695/62 में।

प्रतिवादी नंबर 1 के लिये एएन गोयल, सीए नंबर 695/62 में।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए आईएनश्रॉफ, सीए संख्या 695/62 में।

अपीलकर्ता के लिए एमसी सीतलवाड और एमएस गुप्ता, सीए नंबर 700/62 में।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 और 6 से 9, जीएस पाठक जेबी दादाचंजी ओसी माथुर और रविंदर नारायण सीए संख्या 700/62 में।

प्रतिवादी संख्या 10 के लिए आईएन श्रॉफ, सीए संख्या 700/62 में।

मार्च 3, 1964 को न्यायालय का यह निर्णय न्यायाधिपति श्री अयंगर द्वारा पारित किया गया-

यह तीनों अपीलें, पहली बाँम्बे उच्च न्यायालय नागपुर पीठ और अन्य दो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र के आधार पर पेश की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 277 की संरचना तथा अपीलकर्ता नगरपालिका द्वारा सीपी व बैरार नगर पालिका अधिनियम 1922 के अध्याय 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के आधार पर अधिरोपित

सीमाकर, जाे संविधान के लागू होने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है, की वैधता के संबंध में समान प्रश्न खड़ा करते हैं, जिस कारण एक साथ सुने गए।

सिविल अपील संख्या 598/1962 एक अपील जाे बाँम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर से संबंधित है। जिसे अमरावती नगर समिति द्वारा उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध की गई है। जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम प्रतिवादी की याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 व 227 स्वीकार की गई थी। अमरावती नगरपालिका समिति की स्थापना सीपी व बैरार अधिनियम 1922 के तहत की गई जिसे आगे अधिनियम नाम से निर्दिष्ट किया जाएगा। अधिनियम का अध्याय 9 नगरपालिका द्वारा लगाए जाने वाले करों के अधिरोपण, मूल्यांकन और संग्रहण से संबंधित है। धारा 66 उन कराेँ का विस्तृत विवरण देती है, जो कर अध्याय के अधीन समिति समय समय पर अधिरोपित कर सकती है। इस धारा का प्रथम उपखंड

अपने अनेकों खंडों में 15 प्रकार के करों को निर्दिष्ट करता है, जिसमें से खंड (औ) यह कहता है कि ..

" नगरपालिका की सीमा से आयातित या निर्यात किये गये माल तथा जानवरों पर सीमा कर अधिरोपित किया जा सकता है, बशर्ते इस खंड के तहत सीमाकर तथा खंड (ई)

के तहत चुंगी एक ही समय में नगरपालिका में लागू नहीं होगी"।

धारा 66 के अन्य उपखंड 2,3 व 4 अपील में उठने वाले प्रश्नों के विचारण हेतु प्रासंगिक है जो निम्न हैं:-

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों द्वारा, इस धारा के तहत कर लगाने को विनियमित कर सकती है और किसी भी कर को कर के लिए अधिकतम दरें लगा सकती है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी कर का पहला अधिरोपण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होगा।

(4) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, एक समिति उपधारा (1) खंड (ए) से (एन) के समावेश में पहले से लगाये गये और निर्दिष्ट किसी भी कर को समाप्त कर सकती है या उपधारा(2) के तहत बताईसीमा के भीतर ऐसे किसी भी कर की राशि या दर को बदल सकती है। बशर्ते की सरकार के ऋणी किसी भी नगरपालिका के मामले में, किसी भी कर को समाप्त करने या उसकी राशि या दर को कम करने से पूर्व राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी।

धारा 67 कर लगाने की प्रक्रिया निर्धारित करती है और ये प्रावधान करती है कि...

67 (1) एक समिति, एक विशेष बैठक में, धारा 66 के तहत किसी भी कर को लगाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(2) जब ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों के अंतर्गत समिति कर लगाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के वर्ग संपत्ति के विवरण लगाये जाने वाले कर की राशि और अपनाई जाने वाली मूल्यांकन प्रणाली को परिभाषित कर उसकी सूचना प्रकाशित करेगी।

(3).....

(4) .....

(5) राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है या उन्हें ऐसे संशोधनों के अधीन मंजूरी दे सकती है जो वह उचित समझे या उन्हें आगे विचार के लिए समिति को वापस भेज सकती है।

(6) प्रस्ताव के मूल तत्व को प्रभावित करने वाला कोई संशोधन उपधारा (5) के तहत नहीं किया जायेगा, जब तक कि समिति द्वारा किसी विशेष बैठक में संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता है।

(7).....

(8) "इस धारा के तहत कर लगाने की अधिसूचना इस बाबत निर्णायक सबूत होगी कि कर इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लगाया गया है " ।

करों में बदलाव की प्रक्रिया धारा 68 में उल्लेखित है और इसमें लिखा है ...

68 (1) समिति, एक विशेष बैठक में, पहले से लगाए गए किसी भी कर को समाप्त करने, या उसकी राशि या दर में बदलाव करने के लिये प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(2).....

(3) यदि प्रस्ताव किसी कर की राशि या दर को बढ़ाने का है, तो समिति इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, प्रस्ताव के प्रभावों को विस्तार से दिखाने वाली एक सूचना प्रकाशित करेगी।

(4) प्रस्तावित वृद्धि पर आपत्ति जताने वाला नगर पालिका क्षेत्र का कोई भी निवासी, नोटिस प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर समिति को लिखित रूप से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(5) समिति एक विशेष बैठक में प्रस्ताव और उस पर प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करेगी और प्रस्तावों को जैसा वह उचित समझे संशोधित कर सकती है और अंतिम प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(6) यदि प्रस्ताव को धारा 66, उपधारा (4 व 5) के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है तो समिति प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रेषित करेगी, जिसका निस्तारण धारा 67 उपधारा (4,5 व 6) में बताये तरीके से किया जायेगा।

(7).....

(8).....

(9) इस धारा के तहत किसी भी कर के उन्मूलन या बदलाव के निर्धारित तरीके से प्रकाशन इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि इस तरह के उन्मूलन या बदलाव इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये गये हैं।

अधिनियम के तहत नगरपालिका के गठन से पहले और ऐसे समय में जब नगरपालिका समिति 1886 के बैरार नगरपालिका कानून द्वारा शासित होती थी जो अधिनियम से पहले लागू था और जिसके कर निर्धारण प्रावधान 1922 के अधिनियम द्वारा जारी थे। सड़क या रेल द्वारा आयातित माल पर एक टर्मिनल कर नगरपालिका द्वारा 10 अगस्त 1916

को एक अधिसूचना के आधार पर कईनिर्दिष्ट प्रकार के सामानों पर लगाया गया था। इस अधिसूचना ने चांदी सोने और सिक्कों को इस कर के संचालन से छूट दी थी। इसे 2 जून, 1921 की एक अधिसूचना द्वारा अधिगृहीत कर दिया गया जिसके तहत अनुसूचियों को संशोधित किया गया और अधिरोपित सीमा कर रेल द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में आयातित या बाहर निर्यात किये जाने वाले सामानों तक ही सीमित किया गया था। जून 1921 की अधिसूचना में समय-समय पर अन्य मर्दों को जोड़कर और दरों में वृद्धि करके संशोधन किया गया। लेकिन 1936 के बाद लगाए गए करों में कोईबदलाव नहीं किया गया।

इस योजना के तहत प्रांतों और केंद्र सरकार के बीच कर लगाने की शक्तियों का वितरण किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत रेल द्वारा ले जाए जाने वाले माल पर सीमाकर सूची एक के अनुसूची 7 के आयटम 58 के तहत विशेष रूप से संघीय केंद्र को सौंपा गया था, लेकिन एक अप्रैल 1937 से पहले लागू सीमाकर का अधिरोपण और संग्रहण की वैधता को धारा 143 (2) भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जारी रखा गया था और इसी निरंतरता के आधार पर यह कर एक अप्रैल के बाद भी लगाए जाते रहे। अनुच्छेद 277 व धारा 143 भारत सरकार अधिनियम जो व्यावहारिक रूप से एक ही हैं। जिसके तहत संविधान पूर्व अधिसूचना द्वारा

लगाये गये कर संविधान लागू होने के बाद भी कानूनी रूप से लगाये और एकत्रित किये जा सकते थे।

26 जनवरी 1950 के बाद 1 दिसंबर 1959 को एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत न केवल रेल द्वारा बल्कि सड़क मार्ग से भी नगर पालिका क्षेत्र में आयातित या निर्यात किये जाने वाले सीमाकर के लिए वस्तुओं की सूची में तीन नईवस्तुएं चांदी व चांदी के आभूषण, सोने व सोने के आभूषण व कीमती नगों जोड़ी गई। जिन पर उन्हीं दरों पर कर लगाया गया था। जो संविधान से पहले लागू अधिसूचनाओं द्वारा अन्य वस्तुओं पर लगाए गए थे। अधिसूचना जारी होने से पहले धारा 67 व बताई गई प्रक्रिया का अध्ययन कर सरकार द्वारा नई जोड़ी गई वस्तुओं पर कर लगाने के लिए नगरपालिका समिति द्वारा बनाए गए नियमों को अपनी मंजूरी दे दी थी। अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में अधिसूचना के आधार पर अमरावती नगरपालिका द्वारा अधिरोपित नए कर को विधायी अक्षमता जिसे अनुच्छेद 277 के द्वारा सुरक्षित नहीं किया गया है, के आधार पर प्रथम प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने बहुमत से प्रतिवादी द्वारा उठाये गये विवाद को स्वीकार कर लिया और याचिका की अनुमति प्रदान की गई। परंतु उपयुक्तता का प्रमाण पत्र भी दिया गया, जिस कारण यह अपील की गई।

अन्य दो अपीलों के तथ्य भी लगभग समान हैं। लेकिन हम इन अपीलों में उठने वाले सामान्य प्रश्न से निपटने के बाद इनका उल्लेख करेंगे।

यह समान आधार है कि सीमाकर लगाने का अधिकार अब संघ सूची की प्रविष्टि 89 के तहत केंद्रीय संसद में निहित है, जिसमें लिखा है:

रेलवे, समुद्र या वायु द्वारा ले जाये जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमाकर ; रेलवे किराये और माल ढुलाईपर कर

नये वस्तुओं पर अपीलकर्ता द्वारा कर लगाया जाना और उस सिद्धांत को कर की दर में वृद्धि करने पर लागू करना राज्य की स्वतंत्र कर लगाने की शक्ति पर निर्भर करेगा, जिस कारण विधायी क्षमता के अभाव में इसे रद्द करना होगा।

लेकिन विवादित अधिसूचना की इस विशेषता को नजरंदाज करते हुए, जहां तक यह सड़क मार्ग से ले जाने वाले माल को सीमाकर के दायरे में लाता है, यह स्वीकार किया जाता है कि यदि यह कर नया लगाया गया है तो इसकी वैधता को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि कर अधिरोपण की वैधता के समर्थन में जो निवेदन किया गया है वह यह है कि इसे अनुच्छेद 277 द्वारा सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 277 निम्न है:-

अनुच्छेद 277 कोईभी कर, चुंगी, उपकर, या शुल्क, जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार या नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण व निकाय द्वारा राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्रों के प्रयोजनों के लिए कानूनी रूप से लगाया जा रहा था। भले ही उन करों, चुंगियों, उपकरों या शुल्कों का उल्लेख संघ सूची में किया गया हो, तब तक लगाए जाते रहेंगे और उन्हीं प्रयोजनों के लिए लागू किये जाते रहेंगे जब तक कि इनके विपरीत प्रावधान संसद द्वारा कानून के माध्यम से नहीं किए जाते।

यदि अपीलान्त के अधिवक्ता का तर्क सही है कि आक्षेपित कर जिसे वह लागू रखना चाहते हैं, वह कर वैधानिक रूप से नगरपालिका द्वारा संविधान पूर्व लागू किया गया था तथा वह अपने प्रतिपादित प्रस्तुतीकरण में इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि सीमाकर संघ को सौंपी गईसंवैधानिक रूप से कर लगाने की शक्तियों के वितरण के तहत है, जिससे पूर्व में अधिरोपित करों की निरंतरता पर कोईप्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सवाल यह है कि क्या यह कर नगरपालिका द्वारा संविधान पूर्व अधिरोपित किया जा रहा था, जिसकी निरंतरता हेतु अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है।

अपलकर्ताओं के लिए श्री सीतलवाद का पहला निवेदन यह था कि यह शर्त तब पूरी होगी जब कोई सीमाकर (बिना उस लेख के संदर्भ के जिस दर पर इसे लगाया गया था) संविधान लागू होने से पहले

नगरपालिका द्वारा कानूनी रूप से लगाया जा रहा हो। और जैसा कि इस मामले में स्वीकृत तथ्य है कि कुछ वस्तुओं पर नगरपालिका द्वारा सीमाकर लगाया जा रहा था, जिससे वह शर्त पूरी होगी। उनका तर्क था कि अनुच्छेद 277 के शुरुआती भाग में "कर या शुल्क" जिसका अर्थ एक निर्दिष्ट विधायी प्रविष्टि के तहत कर या शुल्क के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और यदि ऐसा कर या शुल्क संविधान के प्रारंभ होने के पहले लगाया जा रहा था। तो उसी प्रकार के या उसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अन्य कर संविधान के बाद भी लगाये जा सकते हैं चाहे ऐसे कर्तव्यों या करों का उल्लेख संघ सूची में किया गया हो।

दूसरा उन्होंने कहा कि "उदग्रहण" शब्द का अर्थ केवल लागू करना यानी कर का निर्धारण और संग्रहण करना ही नहीं है बल्कि कर को वसूल करना भी शामिल है और यदि इस अभिव्यक्ति को उस व्यापक अर्थ में समझा जाये तो इस मामले में मूल रूप से निर्दिष्ट वस्तुओं के साथ-साथ कुछ नयी वस्तुओं को भी कर प्रावधान के दायरे में लाया गया था। विद्वान अटार्नी जनरल जो राज्य की ओर से उप. हुए हैं, जिन्होंने श्री सीतलवाद का समर्थन किया, ने एक कदम आगे बढ़कर निवेदन किया कि ये आवश्यक नहीं है कि एक सीमा कर संविधान से पूर्व लागू किया जाकर एकत्रित किया गया हो जब राज्य अधिनियम द्वारा नगरपालिका को ऐसा कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई हो। विद्वान अटार्नी जनरल के तर्क को

सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि "उदग्रहण जारी रखें" वाक्यांश में उदग्रहण शब्द का निर्माण व्यापक या संकीर्ण, केवल इस तथ्य से नहीं समझा जा सकता कि एक राज्य अधिनियम ने नगरपालिका को कर लगाने के लिए अधिकृत किया है। जिस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि एक कर जो कभी अधिरोपित नहीं किया गया था उसे नगरपालिका द्वारा कानूनी रूप से लगाया जा रहा हो। संविधान पूर्व समान उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए कर आदि के बारे में बात ही नहीं की जा सकती।

श्री सीतलवाद की प्रस्तुति को कोईभी संकीर्ण कह सकता है, जिससे सहमत होना संभव नहीं है। उनकी पहली प्रस्तुति को इस प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है: अभिव्यक्ति " कर, चुंगी, उपकर" जिसके साथ अनुच्छेद 277 प्रारंभ होता है, उसे भाग 12 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जिसमें अनुच्छेद आता है और इसलिए इसे उस वर्ग या श्रेणी के करों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो राज्य, नगरपालिका आदि द्वारा संविधान के प्रारंभ होने से पूर्व लगाए और एकत्रित किए गए थे। दूसरे शब्दों में यहां संदर्भ विधायी सूचियों की प्रविष्टियों का है, जो ऐसे करों को लगाने की अनुमति प्रदान करती है और इसलिए इसे इस परिस्थिति के साथ पढ़ा जाता है कि अनुच्छेद राज्य या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की वित्त अव्यवस्था को रोकने हेतु निर्मित है, अनुच्छेद की शर्तों को पूरा करने

पर कर लगाना जारी रखने की विधायी शक्ति प्रदान की जाएगी। भले ही कर आदि का उल्लेख संघ सूची में किया गया हो। यदि, जैसा की स्वीकार किया गया है, "निरंतरता" के लिए इस प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाने वाला एकमात्र उद्देश्य राज्य व स्थानीय प्राधिकरणों को संविधान से पूर्व प्राप्त किये जाने वाले राजस्व से वंचित होने पर होने वाली वित्तीय अव्यवस्था से बचाना है। इसका अर्थ यह होगा कि अनुच्छेद का इरादा करों की मौजूदा सीमा को जारी रखने की अनुमति देना था न कि ये उन्हें नयी वस्तुओं को कराधान के अधीन करके या शुल्क की दरों में वृद्धि करके अपने कराधान की सीमा का विस्तार करने का अधिकार प्रदान करता है। इस विचार के अलावा संघ सूची में करों आदि का उल्लेख होने के बावजूद शब्दों को एक असीमित विधायी शक्ति प्रदान करने के रूप में पढ़ना संभव नहीं है, जो वास्तव में शर्त अनुसार नये करों को शामिल करता है। जिसके प्रकार या प्रकृति का कोईकर संविधान पूर्व लागू था। धारा 143 (2) भारत सरकार अधिनियम 1935 जो सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 277 के समान है, जिसके उचित निर्माण का प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष रामकृष्ण रामनाथ बनाम जनपद सभा, गोंड के मामले में विचारार्थ आया। जहां प्रतिवादी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से यह जाहिर किया गया कि धारा 143 (2) भारत सरकार अधिनियम 1935, द्वारा प्रांतीय विधानमंडल को प्रत्येक कर के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी, जो

भारत सरकार अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा कानूनी रूप से लगाया जा रहा था।

इस न्यायालय ने उस तर्क को खारिज कर दिया और कहा,

" धारा 143 (2) जो एक बचत खंड है और स्पष्ट रूप से भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने के कारण स्थानीय सरकारों व स्थानीय प्राधिकरणों के वित्त की अव्यवस्था को रोकने के लिये बनाई गई है। उस स्थिति से पहले प्रचलित करों से भिन्न तर्ज पर कराधान के प्रमुखों को वितरित करने वाला उन विषयों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करने वाले के रूप में नहीं माना जा सकता जब तक कि केंद्रीय विधान मंडल इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। इस तरह के निर्माण में अनिवार्य रूप से कराधान की दरों को बढ़ाने के लिए प्रांतीय विधान मंडल में एक शक्ति शामिल होगी, जिसके परिणामस्वरूप में यह कहना होगा कि अनुभाग की भाषा को ध्यान में रखते हुए केवल निरंतरता और इसके प्रकट उद्देश्य के लिये इस निर्माण को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए "

इसमें कोई संदेह नहीं है, यहां तक कि शब्द लगाया जाना जारी रहेगा और समान उद्देश्य के लिये लागू किया जाएगा भी राज्य में एक सीमित विधायी शक्ति का आयात व संकेत करते हैं। इस सीमित शक्ति के दायरे की भी किसी मामले में इस न्यायालय द्वारा जांच की गई थी और ये कहा गया था:

" इस संदर्भ में उप धारा के प्रासंगिक शब्दों का अर्थ केवल प्रांतीय विधानमंडल द्वारा वांछित होने पर लगाया जा सकता है जिसका अभिव्यक्ति के उपयोग से संकेत मिलता है। संघीय विधानमंडल द्वारा इसके विपरीत प्रावधान किए जाने तक इसे जारी रखा जाएगा। इसलिए इससे उदग्रहण को जारी रखने या न जारी रखने की इच्छा दर्शाने या व्यक्त करने के लिए प्रांत में एक सीमित विधायी शक्ति होगी। यदि इस सीमित शक्ति के प्रयोग में प्रांत कर को बंद करने की इच्छा रखता है और संबंधित कानून को निरस्त कर देता है तो निरसन प्रभावी होगा। बेशक कर को बंद करने की इच्छा का संकेत देने वाले कानून की अनुपस्थिति में संविधान के प्रावधान का प्रभाव कर लगाने की शक्ति को जारी रखने में सक्षम बनाना होगा, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि प्रावधान इसके निहितार्थ से प्रदान करता है उदग्रहण

को जारी रखने की इच्छा करने या न रखने की एक सीमित विधायी शक्ति केंद्रीय विधानमंडल की इसकी निरंतरता को समाप्त करने की अधिभावी शक्ति के अधीन है और यह इस सीमित विधायी शक्ति के अस्तित्व के आधार पर है कि अधिकार प्रांतीय विधानमंडल द्वारा 1920 के अधिनियम के अंतर्गत कराधान प्रावधान को निरस्त करने की छूट दी जा सकती थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि स्थानीय प्राधिकारी कर जारी रखना चाहता है तो उसे स्थानीय प्राधिकारी को उसी दर पर कर लगाने की अनुमति देनी चाहिए जो 1 अप्रैल 1937 को प्रचलित थी। यदि शुल्क की दर में कमी लाने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था तो इसकी विधायी क्षमता स्पष्ट रूप से लगाया जाना जारी रह सकता है शब्दों में निहित शक्ति से पता लगाया जाना चाहिए।"

लगाया जाना जारी रह सकता है शब्दों के आयात से निपटते हुए इसे इन शब्दों को संक्षेपित किया गया था ;

(1) कर वह होना चाहिए जो स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कानूनी रूप से लगाया गया हो,

(2) कर एकत्र करने वाली संस्था उस क्षेत्र की पहचान करेगी, जिसके लाभ के लिए कर का उपयोग किया जाना है और जिन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाना है,

(3) कर की दर नहीं बढ़ायी गयी और न ही इसकी दर में किसी भी तरह से बदलाव किया गया ताकि यह वही कर बना रहे। यह स्पष्ट है कि यदि ये परीक्षण लागू किए गए तो अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता।

लेकिन अधिकार के अलावा हम भले ही इस निर्णय को एक तरफ रख दिया जाए उस निर्माण को स्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए श्री सीतलवाड दावा करते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अंतिम विश्लेषण में उठाए गए प्रश्न का उत्तर लगाया जाना जारी रहेगा वाक्यांश में 'लगान' शब्द के अर्थ पर आधारित होना चाहिए, जो एक शक्ति प्रदान करने वाला सक्रिय शब्द है। श्री सीतलवाड का मानना है कि 'लगाया गया' एक व्यापक और अलग-अलग अर्थ का शब्द है और इसके अर्थ में न केवल कर का वास्तविक संग्रह शामिल है बल्कि कानून द्वारा शुल्क के निर्माण के अर्थ में लगाया जाना भी शामिल है। करदाता से देय राशि का पता लगाना श्री सीतलवाड सही हैं किसी भी करदाता से कर वसूलने से पहले उसकी मात्रा सुनिश्चित और मूल्यांकन की जानी चाहिए और इसे कानूनी रूप से करने के लिए विधायी मंजूरी होनी चाहिए दूसरे शब्दों में आरोप लगाना क्योंकि यह

कानून के तहत आरोप है जिसे कर अधिनियम के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा मात्राबद्ध किया जाता है। हालाँकि इस निर्माण की स्वीकृति से वांछित परिणाम नहीं मिलता है क्योंकि जो लगाया जाना जारी रह सकता है वह वही है जो वैध रूप से लगाया जा रहा था उसी अर्थ में संविधान से पहले शब्द लगाया गया, माना जाता है कि संविधान से पहले कोई आरोप नहीं लगाया गया था जिसे अब पुनर्प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात् अधिनियम ने आरोप नहीं लगाया है।<sup>66</sup> लेकिन केवल नगरपालिका समिति को उचित प्रक्रिया द्वारा कर लगाने में सक्षम बनाया। यदि निःसंदेह इस शक्ति का लाभ उठाया गया होता और कोई शुल्क लगाया गया होता तो यह एक अलग मामला होता। जब तक नगरपालिका समिति आवश्यक प्रस्ताव पारित नहीं करती थी और कर नहीं लगाती थी तब तक वस्तु पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि संविधान के प्रारंभ होने से पहले कर वैध रूप से लगाया जा रहा था। कानूनी तौर पर लगाया जा रहा था शब्दों का स्पष्ट अर्थ है वास्तव में लगाया गया था और यह उन शब्दों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि नगरपालिका प्राधिकरण कानूनी तौर पर कर लगा सकता है लेकिन उसने उस शक्ति का लाभ नहीं उठाया है। एक और परिस्थिति है जिससे संदर्भ भी दिया जा सकता है।

कला का अंतिम भाग 277 लगाया जाना जारी रखें और समान उद्देश्यों के लिए लागू किया जाना शब्दों का उपयोग किया जाता है। कर लगाने की अवधारणा और कर की आय के आवेदन के बीच इस सहसंबंध के कारण संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से इस शब्द का इरादा किया था। 'उदग्रहण' को कर के संग्रह सहित समझा जाना चाहिए क्योंकि केवल तभी जब कर एकत्र किया जाता है तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसके आवेदन का कोई प्रश्न उठता है। यह स्पष्ट है कि यदि लगाया गया शब्द समझा जाता है जिस अर्थ में श्री सीतलवाड का तर्क है कर की आय का संविधान के प्रारंभ में समान प्रयोजनों के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है। उस तिथि पर छूट के लिए लागू होने वाली कोई आय नहीं थी। इस संबंध में प्रतिवादी के विद्वान वकील ने हमें चुट्टीलाल बनाम बागमल और बलवंतराय (1) के फैसले का हवाला दिया जहां उदग्रहण और कर के आवेदन के बीच संबंध को जारी रखें अभिव्यक्ति के निर्माण में सहायता के रूप में संदर्भित किया गया है। लगाया जाना है" हम स्वयं को वहां व्यक्त विचारों से सहमत पाते हैं।

इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय सही है और "अपील विफल हो जाती है।

(1) आईएलआर (1956) मध्य भारत 339।

सिविल अपील संख्या 695/ 1962

इस अपील में सब.एसएस के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी (5) और (7) एस के सीपी और बरार नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 67, 9 दिसंबर 1960 को रेल द्वारा नगर निगम क्षेत्र में आयातित या बाहर निर्यात किए जाने वाले गन. पाउडर पर टर्मिनल टैक्स लगाया गया। यह माना जाता है कि संविधान से पहले गन.पाउडर पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। इसलिए इस मामले में स्थिति 1962 की सिविल अपील संख्या 598 के समान है, जिसका हमने अभी निपटारा किया है और यह इस प्रकार है कि यह अपील भी विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। 1962 की सिविल अपील संख्या 700।

1962 के सिविल अपील 700 में रेल द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में आने या बाहर जाने वाले माल के संबंध में टर्मिनल कर लगाने की मूल अधिसूचना 17 मार्च 1926 की थी जो 1 अप्रैल 1926 से लागू थी। इसे एक अधिसूचना के तहत संशोधित किया गया था एस 67(5) सीपी बरार म्युनिसिपल अधिनियम, 1922 दिनांक 23 सितंबर, 1960 जिसके द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में रेल द्वारा आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची में टर्मिनल टैक्स के अधीन और कर की दर के अलावा नए लेख शामिल किए गए थे। पहले से मौजूद वस्तुओं में भी वृद्धि की गई थी। 1960 की अधिसूचना द्वारा टर्मिनल टैक्स लगाने के लिए नए लेखों को शामिल करना और पहले से ही कर के अधीन वस्तुओं पर शुल्क की दर में

वृद्धि को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका में चुनौती दी गई थी। हमारे जिस तर्क के आधार पर हमने 1962 की सिविल अपील 598 को खारिज कर दिया है, उससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि यह अपील भी विफल होनी चाहिए। कला 277. इसलिए प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति देने वाला उच्च न्यायालय का निर्णय सही था।

परिणामस्वरूप तीनों अपीलें विफल हो जाती हैं और प्रत्येक अपील में प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी या उत्तरदाताओं की लागत के साथ खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अजय बिश्रोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।